

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 17, गुरुवार, १७७६ 1948- मई 07, 2026 Vaisakha 17, Thursday, Saka 1948- May 07, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

अधिसूचना

चूरु, अप्रेल 28, 2026

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चूरु, जिला-चूरु

प्रपत्र - 09

(धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के

अन्तर्गत घोषणा एवं सार)

नियम 21 के उप नियम (1)

अनुपूरक घोषणा

संख्या-प.7(699)एस.एच.ए./पीपीपी/2021-22, राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची की सम्बद्ध सारणी में वर्णित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ग्राम-गाजसर तहसील-चूरु, जिला-चूरु में चूरु-तारानगर-नोहर (राज्य राजमार्ग संख्या-36) परियोजना सड़क के लिए आवश्यक है।

अतः एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार कुल **0.5534 हेक्टेयर** भूमि उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम-गाजसर तहसील-चूरु, जिला-चूरु की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना है, जिसका विवरण निम्न सूची के अनुसार है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या/ भू- खण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	चूरु	चूरु	गाजसर	6	0.5534
कुल				6	0.5534

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों के उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने, जाँच एवं उनका निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

इस भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा-पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है के ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चूरु, जिला-चूरु के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति/परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रतिवेदन का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चूरु, जिला-चूरु के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्य का नाम:- राज्य राजमार्ग चूरु-तारानगर-नोहर (एस.एच.-36) सड़क का विकास (निर्माण) कार्य स्थल विवरण पत्र का प्रारूप-09, ग्राम-गाजसर तहसील-चूरु, जिला-चूरु।

प्रभावित क्षेत्र का विवरण-

अनुसूची							
चूरु-तारानगर-नोहर (राज्य राजमार्ग संख्या-36) परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति की धारा-19, भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चूरु, जिला-चूरु में प्रभावित खसरों की सूची।							
क्र. सं.	सर्वेक्षण (खसरा) संख्या	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	वृक्षों की संख्या/ प्रकार	संरचनाओं का विवरण
ग्राम- गाजसर							
1	1278/873	निजी	बारानी	0.0875	1. गोपालराम पुत्र खींवाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार	-	-
2	871/469	निजी	बारानी	0.0946	1. गोपालराम पुत्र खींवाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार	कीकर 03	-
3	870/469	निजी	बारानी	0.2949	1. चीमनाराम पुत्र खींवाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन (खसरा सं-1326/875 बिना रहन) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिकोचूरु	खेजड़ी 09 कीकर 15 नीम 06 रोहिडा 01	-
4	869/469	निजी	बारानी	0.0253	1. शारदादेवी पत्नि भागीरथ हिस्सा-1/3 जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रिको चूरु 2. सुर्यप्रकाश पुत्र भागीरथ हिस्सा-1/3 जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रिको चूरु 3. सुशीला पुत्री भागीरथ हिस्सा-1/3 जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रिको चूरु	कीकर 1	अस्थाई तारबंदी
5	939/332	निजी	बारानी	0.0414	1. इन्द्रचन्द पुत्र मंगलाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-खटीक निवासी चूरु खातेदार	-	अस्थाई तारबंदी
6	943/331	निजी	बारानी	0.0097	इन्द्रचन्द पुत्र मंगलाराम हिस्सा-पूर्ण	-	-

					जाति-खटीक निवासी चूरु खातेदार		
कुल योग:				0.5534			

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव ,(पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।